विषय का नाम:- **जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन–देसऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

(लम्बाई–12.675 किमी0)

भाग – 2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.............................

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ (लम्बाई–12.675 किमी0) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 5.8695 है0 वन भूमि का लो0नि0वि पी0एम0जी0एस0वाई0 हरिद्वार (मुख्यालय कालसी) को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 में	5.8695 है0 वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.000 है0 आरक्षित वन भूमि 2.2330 है0 वन पंचायत भूमि 3.6365 है0 सिविल सोयम भूमि **5.8695 है0 कुल वन भूमि**
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1–0.2 तक
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल–2 मी0 पर परिगणना और एफ.आर.एल–4 मी0 भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 147 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या शून्य है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 20 से 20(II) तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की दिनांक 12 मई 2013 की भूगर्भीय आख्या संलग्न–प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 28 में चस्पा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	1000 मी0 (लगभग)
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जायें)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।
(xii)	यदि कोई सुरिक्षत पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्तवपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेछित हो तो दें।	नहीं।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भमि की आश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	वॉछित भूमि न्यूनतम है। सवेक्षण के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई काया किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	वन अधिनियम के उल्लघंन के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई कार्य नही किया गया है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 16ए पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 16 बी में संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	पृष्ठ संख्या 4 पर संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :– जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्वयन ऐजंसी :– स्वंय वन विभाग समय :– उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :– क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रू0 15.263 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या 16 ए तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 25.35 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या 16 बी में संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	5.8695 है0 X2=11.739@रू0 1.30 लाख = रू0 15.263 लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। 12.675 है0 @ रू0 2.00 लाख = रू0 25.35 लाख परियोजना के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	पृष्ठ संख्या–17 पर संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट में, जो कि पृष्ठ संख्या 10 पर संलग्न है, में उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाया गया है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	चकराता वन प्रभाग/जिला – देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	3088.00 वर्ग किमी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	2116.91 वर्ग किमी0
(iii)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	346.902 है0
(iv)	अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) 673.61 है0 में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) 671.00 है0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	स्थानीय ग्रामीणों को यातायात एवं परिवहन की सुविधा तथा कृषि एवं नगदी फसलों को बाजार तक ले जाने हेतु उक्त मार्ग निर्माण की संस्तुति की जाती है तथा मार्ग के दोनो ओर 50 मी0 चौड़ाई में जहॉ रिक्त पडे स्थान पर वृक्षारोपण 12.675 है0 @ रू0 2.00 लाख प्रति है0= रू0 25.35 लाख

दिनांक :- 10-4-2015

हस्ताक्षर

स्थान :– चकराता

नाम :– डा0 दिवाकर सिन्हा

प्रभागीय वनाधिकारी

सरकारी मोहर चकराता वन प्रभाग

चकराता (देहरादून)